

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 273 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जुलाई 28, 2020.
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- दिवालीखाल किमोली से नारायणबगढ मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
Proposal No. - FP/UK/ROAD/11039/2015

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 311/12-1 दिनांक 22.07.2020
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण ने अपने पत्र सं० 745/1एल0ए0 दिनांक 24.06.2020 से आपत्ति का निराकरण कर सूचना निम्नानुसार उनके कार्यालय को प्रेषित की गई है।

क्र.सं	प्रस्ताव में आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	In reply to para 01 no comments/justification submitted by the state Govt. as the case the already been closed. state Govt. is required to submit the proposal for reopening the case as per guidelines.	बिन्दु सं० 01 समय से आपत्तियों का निराकरण न कर पाने का मुख्य कारण मोटर मार्ग से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी सिविल भूमि 13.066 है० उपलब्ध होने में अधिक समय लगना था। जिसका जबाव खण्ड द्वारा Reply EDS 18.04.2019 के पत्रांक 113/1 एल0ए0 दिनांक 24.08.2019 दिया गया है।
2	बिन्दु सं० 02 के जबाब में यह दिया गया है कि प्रस्तावित मार्ग दो मुख्य मोटर मार्गों को आपस में जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा इस प्रस्ताव में 2025 वृक्षों का पातन भी प्रस्तावित है जिसमें ओक प्रजाति के 680 वृक्ष सम्मिलित है साथ ही इस प्रस्ताव को पूर्व में बन्द किया जा चुका है। अतः राज्य सरकार यदि चाहे तो प्रस्ताव में सम्मिलित वन क्षेत्र में उपलब्ध वन मार्ग को पक्का करने का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।	प्रस्तावित मोटर मार्ग दो मुख्य मार्गों को आपस में जोड़ने तथा मुख्य रूप से किमोली ग्रामसभा को गैरसैण से जोड़ने हेतु न्यूनतम देरी का मार्ग है। जिसमें 5.00 किमी० लम्बाई का मोटर मार्ग वन विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित है। 680 ओक प्रजाति के वृक्षों के पातन के क्रम में 50 प्रतिशत ओक वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। क्योंकि यह मोटर मार्ग अतिआवश्यक मार्ग है। जिसके क्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा आन्दोलन की चेतावनी बार-बार दी जा रही है। जब तक किमोली ग्राम सभा को नहीं जोड़ा जायेगा तब तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग को पक्का करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
3	Reply to point no-3 VLC proceeding of diwalikhal still not submitted/upload.	बिन्दु सं० 03 के क्र०सं० दिवालीखाल ग्राम सभा मरोड़ा ग्राम के अन्तर्गत आता है जिसकी वी०एल०सी० मरोड़ा ग्राम सभा के नाम से पार्ट I K में तथा additional file में एफ०आर०ए० के नाम से अपलोड करायी गयी थी।
4	In reply to point no 03 state govt. submitted that the report/document in respect of kedarnath wildlife division and badrinath forest division are enclosed but not found with the reply. State govt. may submit the required documents.	DFO kedarnath द्वारा संयुक्त निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

लंगनक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 311

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 22 /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

ऑन लाईन प्रस्ताव सं०-FP/UK/Road/11039/2015 दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड़ मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

ई०डी०एस० दिनांक 22.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण ने अपने पत्र सं० 745/1 एल०ए० दिनांक 24.06.2020 से आपत्ति का निराकरण कर सूचना निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

1	In reply to para 0.1 no. comments/justification submitted by the State Govt. as the case the already been closed . State Govt. is reuquired to submit the proposal for reopening the case as per guidelines.	बिन्दु सं० 01 समय से आपत्तियों का निराकरण न करवाने का मुख्य कारण मोटर मार्ग से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी सिविल भूमि 13.066 है० उपलब्ध होने में अधिक समय लगना था। जिसका जबाब खण्ड द्वारा Reply EDS 18-04-2019 के पत्रांक 113/1एल०ए० दिनांक 24.08.2019 दिया गया है।
2	बिन्दु सं० 02 के जबाब में यह दिया गया है कि प्रस्तावित मार्ग दो मुख्य मोटर मार्गों को आपस में जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा इस प्रस्ताव में 2025 वृक्षों का पातन भी प्रस्तावित है जिसमें ओक प्रजाति के 680 वृक्ष सम्मिलित है साथ ही इस प्रस्ताव को पूर्व में बन्द किया जा चुका है। अतः राज्य सरकार यदि चाहे तो प्रस्ताव में सम्मिलित वन क्षेत्र में उपलब्ध वन मार्ग को पक्का करने का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।	प्रस्तावित मोटर मार्ग दो मुख्य मार्गों को आपस में जोड़ने तथा मुख्य रूप से किमोली ग्रामसभा को गैरसैण से जोड़ने हेतु न्यूनतम दूरी का मार्ग है। जिसमें 5.00 किमी० लम्बाई का मोटर मार्ग वन विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित है। 680 ओक प्रजाति के वृक्षों के पातन के क्रम में 50 प्रतिशत ओक वृक्षों का वृक्षारोपण किया जायेगा। क्योंकि यह मोटर मार्ग अतिआवश्यक मार्ग है। जिसके क्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा आन्दोलन की चेतावनी बार-बार दी जा रही है। जब तक मुख्य रूप से किमोली ग्राम सभा को नहीं जोड़ा जायेगा। तब तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग को पक्का करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
3.	Reply to point no-03 VLC proceeding of diwalikhal still not submitted/upload.	बिन्दु सं० 03 के क्र०सं० दिवालीखाल ग्राम सभा मरोड़ा ग्राम के अन्तर्गत आता है जिसकी वी०एल०सी० मरोड़ा ग्राम सभा के नाम से पार्ट I K में तथा additional file में एफ०आर०ए० के नाम से अपलोड करायी गयी थी।
4.	In reply to point no 03 State govt. submitted that the report/document in respect of kedarnath wildlife division and badrinath forest division are enclosed but not found with the reply. State govt. may submit the required documents.	DFO Kedarnath द्वारा संयुक्त निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही की कृपा करे।

संलग्न:- 1-Cost benefit analysis-03

2- Justification 03

3-C.A. Estimate- 03

4-वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र -03

5-उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा संयुक्त निरीक्षण की प्रति -03

भवदीय,

(अमित कवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 311 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम-- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैररौण में दिवालीखाल किमोली से नारायणगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम किमोली
जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विकासखण्ड गैररौण में दिवालीखाल किमोली से नारायणगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.257 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 2.265 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.522 हे० वन भूमि का लो० नि० वि०/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किमोली द्वारा दिनांक 21/03/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

बर्दा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम किमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-

सरपंच



दिवालीवाल, किशोरी से नारायणगढ़ मोटर मार्ग 9.130 किमी० के निर्माण के सम्बन्ध में।

दिनांक 01/3/15

कमावे	सब लम्बा में उपस्थित जमीन आदिवासीयों के नाम	हस्ताक्षर
	शगभीत सिंह	पद
	हरन सिंह	हस्ताक्षर
	मेने सिंह	हस्ताक्षर
	मनरेन्द्र सिंह	हस्ताक्षर
	जगन सिंह	हस्ताक्षर
	बुज जाल	हस्ताक्षर
	विनेश सिंह S/O देवसिंह	हस्ताक्षर
	करवान सिंह S/O आनन्दसिंह	हस्ताक्षर
	अपरसिंह	हस्ताक्षर



नोट - यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेंन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 28-06-2017 को जनपद चमोली के अन्तर्गत दिवालीछात -किमौली रो नारायणबगढ़ मोटर मार्ग 0.1 कि०मी० निर्माण हेतु 8.522 हे० वन भूमि का स्वतंत्र निरीक्षण किया गया । जिसमें केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के प्रतिनिधि श्री प्रताप सिंह बुढोला वन क्षेत्राधिकारी एवं श्री बलवीर सिंह नेगी वन दरोगा तथा लोक निर्माण विभाग गैरसैण से श्री प्रेम भन्त कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री रघुवीर लाल अमीन उपस्थित थे। जिसमें 04 कि०मी० (2.8 हे०) भूमि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के अन्तर्गत पड़ती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा पूर्व में 05 कि०मी० मोटर मार्ग निर्मित है। जिसका भवि भूमि हस्तान्तरण लो०नि०वि० गैरसैण को किया जाना है। वन विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 05 कि०मी० मोटर मार्ग के अन्तर्गत वृक्षों कातन नहीं किया जाना है।

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

वी.एस.नेगी
वन दरोगा ~~लो०नि०वि०~~ अनुभाग
लो०नि०वि० गैरसैण
के.व.जी.प्रभाग गोपेश्वर

~~प्र. एस. नेगी~~
~~गोपेश्वर गैरसैण~~

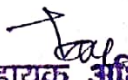
अधिवक्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

JE

AE
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

Justification

अस्तावित मोटर मार्ग दिवालीखाल से किमोली नारायणबगड 6.12 है जो कि एन०एच० 109 के दिवालीखाल नामक स्थान से प्रारम्भ होता है, जिसमें प्रथम भाग 5.00 किमी० लम्बाई में वन विभाग द्वारा पूर्व में मोटर मार्ग बना हुआ है। इसी 5.00 किमी० वन कुछ भाग बंटीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर तथा कुछ भाग केदारनाथ वन जीव प्रभाग गोपेश्वर के अधीन है एवं बंटीनाथ वनप्रभाग तथा केदारनाथ वनप्रभाग गोपेश्वर द्वारा मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्राप्त कर पूर्व में ही प्रेषित कर दी गयी है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से गैरसैन का नारायणबगड से सीधा सम्पर्क हो जायेगा, जो कि न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक मोटर मार्ग होगा जिसके बन जाने से गैरसैन से नारायणबगड कि दूरी 29.00 किमी० कम हो जायेगी। उक्त मोटर मार्ग जो 5.00 किमी० वन विभाग द्वारा पूर्व में बना हुआ है तथा मात्र 4.100 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अवशेष है। क्योंकि 5.00 किमी० पूर्व से वन विभाग द्वारा निर्मित है। उक्त निर्मित मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से आन किमोली - नारायणबगड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव होगा। विभाग द्वारा प्रस्तावित समरेखण में ही न्यूनतम वृक्षों का पातन सम्भव है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य समरेखण सम्भव नहीं है, जिससे कि कम वृक्षों का पातन हो सके। उक्त मोटर मार्ग के बन जाने से विधानसभा कर्णप्रयाग का सीधा सम्पर्क विधानसभा थराली से हो जायेगा तथा कर्णप्रयाग-नारायणबगड मोटर मार्ग जिसका अधिकतम भाग पिण्डर नदी के किनारे से होकर गुजरता है। जो कि बरसात में कई बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति में यह मोटर मार्ग एक वैकल्पिक एवं महत्वपूर्ण मोटर मार्ग होगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार आन्दोलन भी किया गया है एवं किया जा रहा है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोन्गि.वि.
गैरसैन (चमोली)


24/01/18
Executive Engineer
Construction Division
NWD Gairsain

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

योजना का नाम - जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल-किमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 है० वन भूमि को लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 9.10 कि०मी० क्षतिपूर्क वृक्षारोपण अन्तर्गत

वृक्षारोपण स्थल का नाम - घेरबूंगा सिविल।

क्षेत्रफल - $6.522 \times 2 = 13.044$ है०

रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल $\times$ 2000) = $13.044 \times 2000 = 26088$ पौध

रोपित प्रजाति (प्रस्तावित) - बांज, फनियाट, सुरई, देवदार, काफल आदि।

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रु०)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
प्रथम वर्ष					
1	सर्वे एवं सीमांकन	हे०	13.044	115.00	1500.06
2	स्थल सफाई कार्य	हे०	13.044	3730.00	48654.12
3	दीवालबन्दी कार्य/फैन्सिंग(150 मी०प्र०है०= 81 घ०मी०@ 121 घ०मी०	हे०	13.044	38637.00	503981.03
4	गड़ढा खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45 मी०) रेखांकन चूना सहित	सं०	26080	7.95	207336.00
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड़ढा	कि०ग्रा०	456.54	770.00	351535.80
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	सं०	2608	6.20	16169.60
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 हे०) के आधार मानते हुए 1- वनस्पतिक/स्टोन चैक डैम- $8 \times 6725 = 53800.00$ 2- वाटर हारवैस्टिंग टैंक ($3 \times 2.50 \times 1.0$) $5 \times 7540 = 37700.00$ कुल योग - 91500.00	हे०	13.044	9150.00	119352.60
8	निरीक्षण बटिया बनाना	हे०	13.044	915.00	11935.26
				योग	1260464.47
द्वितीय वर्ष					
1	झाड़ी कटान (लेन्टाना गाजर घास/काला बांस)	हे०	13.044	1887.00	24614.03
2	गड़ढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	सं०	26080	1.42	37033.60
3	पौध ढुलान कार्य	सं०	26080	9.00	234720.00
4	पौध रोपण कार्य	सं०	26080	2.77	72241.60
5	पौधों की प्रथम निराई-गुड़ाई मलचिंग कार्य।	सं०	26080	1.89	49291.20
6	पौधों की द्वितीय निराई-गुड़ाई मलचिंग कार्य।	सं०	26080	1.63	42510.40
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	सं०	26080	1.80	46944.00
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष) (08 माह)	हे०	13.044	685.00/माह	71481.12
9	साईन बोर्ड आदि क्रय	हे०	13.044	1100.00	14348.40
				योग	593184.35
तृतीय वर्ष -10 प्रतिशत बीटिंग अप					
1	पौध की लागत	सं०	2609	8.00	20872.00
2	पौध ढुलान कार्य	सं०	2609	9.00	23481.00
3	पुनः गड़ढा खोदना एवं रोपण कार्य	सं०	2609	4.40	11479.60
4	गड़ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	सं०	2609	1.95	5087.55
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	सं०	2609	1.63	4252.67
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह) 1 वर्ष (प्रति है० प्रति माह)	हे०	13.044	685.00	47758.20
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	हे०	13.044	450.00	5869.80
				योग	118800.82

1	वनीकरण योजनाएं का वार्षिक (12 माह) 1 वर्ष	80	13.044	685.00	107221.68
2	अन्य सामग्री सुरक्षा कार्य।	80	13.044	450.00	5869.80
				योग	113091.48
1	वनीकरण योजनाएं का वार्षिक (12 माह) 1 वर्ष	80	13.044	685.00	107221.68
2	अन्य सामग्री सुरक्षा कार्य।	80	13.044	450.00	5869.80
				योग	113091.48
1	वनीकरण योजनाएं का वार्षिक (12 माह) 1 वर्ष	80	13.044	685.00	107221.68
2	अन्य सामग्री सुरक्षा कार्य।	80	13.044	450.00	5869.80
				योग	113091.48
1	वनीकरण योजनाएं का वार्षिक (12 माह) 1 वर्ष	80	13.044	685.00	107221.68
2	अन्य सामग्री सुरक्षा कार्य।	80	13.044	450.00	5869.80
				योग	113091.48
1	वनीकरण योजनाएं का वार्षिक (12 माह) 1 वर्ष	80	13.044	685.00	107221.68
2	अन्य सामग्री सुरक्षा कार्य।	80	13.044	450.00	5869.80
				योग	113091.48
1	वनीकरण योजनाएं का वार्षिक (12 माह) 1 वर्ष	80	13.044	685.00	107221.68
2	अन्य सामग्री सुरक्षा कार्य।	80	13.044	450.00	5869.80
				योग	113091.48
1	वनीकरण योजनाएं का वार्षिक (12 माह) 1 वर्ष	80	13.044	685.00	107221.68
2	अन्य सामग्री सुरक्षा कार्य।	80	13.044	450.00	5869.80
				योग	113091.48
				सम्पूर्ण योग	2764090.00
				योग	2764000.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेखर
(घमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
विचारी विष्णुधर राज
नारायणगढ़

COST BENEFIT ANALYSIS

As per MOEF & CC guideline No. 7-69/2011-FC(PL) dated 1 August 2017

NAME OF PROJECT:- CONSTRUCTION OF DIWALIKHAL KIMOLI MOTOR ROAD under PWD GAIRSAIN

Table B: Estimation of cost of Forests Diversion

SL. No	Particulars	Roads, Tr. lines
1	Ecosystem services losses due proposed forest diversion @8.45 lac / ha	The estimated NPV (Economic value of loss of ecosystem service) of the 6.522 Ha forest land is Rs 55.11 Lac
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder (NPV $6.522 \times 8.45 = 55.11$ Lack)	10% of NPV ($55.11 \times 10\% = 5.51$ Lack)
3	Cost of human resettlement	There is no displacement due to the project. Therefore the cost of human resettlement is Rs 0.000
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project	Nil
5	Possession value of forest land diverted	30% of NPV ($55.11 \times 30\% = 16.53$ Lack)
6	Cost of Suffering to oustees.	Nil
7	Habitat Fragmentation cost	
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	The estimated cost of raising the CA in 13.044 Ha is Rs 27.64 Lac for 10 years Considering discounting rate 12% for future 100 years, the present value Rs
	Total Environmental Loss	104.79 Lac

56

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोबनिगि
प. व. न. ग. (कमोली)

25/01/15
Executive Engineer
Construction Division
PWD Gairsain

NAME OF PROJECT:-CONSTRUCTION OF DIWALIKHIAL KIMOLI MOTOR ROAD under PWD GAIRSAIN

Table C:- Estimation of cost of Forests Diversion

Sl.no.	Parameters	Roads Tr. lines & Raliway line
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	Saving in cartage of material by Vehicle instead of head load Rs 800 per person / per Year (1200x800)/100000 = Lac 9.6 Lac Saving in 100 year = 960.00 Lac
2	Benefits to economy due to specific project	Agricultural production @5000 per person /per year (1200x5000)/100000 = 60.00 Lac Cost of About Agricultural production for 100 year = Rs 6000.005 lac
3	No. of population benefited due to specife Project.	1200.00 People will be benefited
4	Economic benefits due to direct and indirect employment due to the Project.	Direct Employment 20% Population will get employed for 200 days @450Per day =(0.20x1200x200x400)/100000 = 163.20Lac
5	Economic benefits due to Compensatory afforestation.	30% of Nap =16.53 lac considering discounting rate 4% for future 100 years the present value for one year Rs 16.53x 4% = 0.66 Lac. For 100 years Rs0.66 x 100 =66.00 Lac
6	Total Benefits derived from the project	7189.20 Lac

Benefit Cost Ratro = 7189.20/104.79 =68.60 Lac

It is clear from above analysis that construction of above project is more beneficial than Environmental loss.

JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोन्लिवि.
गैरसैन (जमोली)

24/01/19
Executive Engineer
Construction Division
PWD Gairsain